फर्द अहकाम

लालचन्द बनाम रामसहाय वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 19/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 30/9/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	30/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी [illegible] पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर तथा बहस को श्रवण करने पर पार्टी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सुनाया गया। पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर नकल से प्राप्त हो तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

(Y2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
19 / 2024	22 / 02 / 2024	30 / 09 / 2024

1. लालचन्द पुत्र घासी जाति मीना आयु 66 वर्ष निवासी ग्राम साईवाड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. रामसहाय पुत्र घासी
2. सुण्डाराम पुत्र घासी
3. जितेश कुमांर पुत्र तेजाराम
4. रामनारायण पुत्र तेजाराम
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम साईवाड मेवालों की ढाणी, तहसील जमवारमगढ जिला जयपुर।
5. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री सत्यपाल गुर्जर : – वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत् दुरूस्ती
अन्तर्गत धार 136 एल0आर0 एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी नक्शा दुरूस्तीकरण अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 782 रकबा 0.9200है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 322 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा ग्रामतन नटाटा तहसील जमवारामगढ व खसरा नम्बर 441 रकबा 0.4600है, खसरा नम्बर 447 रकबा 1.1500है0, खसरा नम्बर 449 रकबा 1.8600है0, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.6100है0, खसरा नम्बर 540 रकबा 0.3300है0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.4100है0 स्थित ग्राम साईवाड पटवार हल्का नटाटा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 322 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा 1/18 राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित रहा है अर्थात उपरोक्त भूमि में प्रार्थी भी अपने भाईयों की तरह अपने हिस्से 1/72 भाग पर काबिज काश्त चना आ रहा है लेकिन हाल किये गये सेटलमेंट में सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 782 रकबा 0.9200है0 बनाये गये जिसमें प्रार्थी के हिस्से को लुप्त करते हुये प्रार्थी के हिस्से की भूमि को भी अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के हिस्से में चढा कर गलत अंकन कर दिया गया जबकि प्रार्थी पूर्व जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का अंकित रहा है तत्पश्चात संवत 2065–65 की जमाबन्दी बनाते समय सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती के कारण प्रार्थी का नाम हटा दिया गया व प्रार्थी के हिस्से की भूमि भी प्रार्थी के तीनों भाईयों के नाम चढा दी गई जिससे वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हजफ हो गया व प्रार्थी के हिस्से की भूमि उनके भाईयों के नाम चढ गई जिसे पूर्व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार दुरूस्त करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। ग्राम साईवाड में स्थित भूमि खसरा नम्बर 441, 447, 449, 515, 540 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र घासी दर्ज अंकित है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम लालचन्द

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

पुत्र घासी है जो कि प्रार्थी के सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, व बैक खाता पासबुक में प्रार्थी का सही नाम लालचन्द पुत्र घासी दर्ज व अंकित है। उक्त नवीन जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम लालाराम पुत्र घासी के स्थान पर लालचन्द पुत्र घासी दुरूस्त करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित ग्राम नटाटा पटवार हल्का नटाटा तहसील जमवारामगढ के साबिक खसरा नम्बर 322 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के राजस्व रिकार्ड अनुसार नवीन खसरा नम्बर 782 रकबा 0.9200है0 में पूर्वानुसार अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के हिस्से को कम करते हुये प्रार्थी का हिस्सा 1/72 अंकित कर प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र घासी दुरूस्त किया जावें तथा ग्राम साईवाड पटवार हल्का नटाटा तहसील जमवारामगढ में स्थित खसरा नम्बर 441, 447, 449, 515, 540 कुल किता 5 कुल रकबा 4.4100है0 में प्रार्थी का दर्ज नाम लाला पुत्र घासी के स्थान पर लालचन्द पुत्र घासी दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने दिनांक 14.06.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नटाटा, पटवार हल्का नटाटा तहसील जवमारामगढ के साबिक खसरा नम्बर 322 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के राजस्व रिकार्ड अनुसार नवीन खसरा नम्बर 782 रकबा 0.9200है0 में अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के हिस्से को कम किया जाकर पूर्वानुसार दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 2 का प्रत्येक का हिस्सा 1/72–1/72 व अप्रार्थी सं0 3 ता 4 का प्रत्येक का हिस्सा 1/44–1/44 अंकित किया जावें तथा नाम लालचन्द पुत्र घासी किया जावें व ग्राम साईवाड पटवार हल्का नटाटा, तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 441, 447, 449, 515, 540 कुल किता 5 कुल रकबा 4.4100है0 में प्रार्थी का दर्ज नाम लाला पुत्र घासी के स्थान पर लालचन्द पुत्र घासी दुरूस्त कर दिया जावें। अप्रार्थी सं0 5 (पेरोकार सरकार तहसीलदार) ने उपस्थित होकर अपने पत्र कमांक/एल0आर0/2024/4075 दिनांक 29.07.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि आवेदित भूमि ग्राम नटाटा के साबिक खसरा नम्बर 322 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 782 रकबा 0.9200है0 भूमि वादी की संवत 2055–58 की जमाबन्दी अनुसार खातेदारी भूमि दर्ज थी। भू प्रबंध विभाग द्वारा प्राप्त मिसल से बनी आधार वर्ष की जमाबन्दी में वादी का नाम व हिस्सा हजफ कर दिया गया है हाल व संवत 2055–58 आधार वर्ष की जमाबन्दी संलग्न है। प्रकरण में वादी का हिस्सा 1/72 दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं जितेश कुमार, रामनारायण पिता तेजाराम प्रत्येक का हिस्सा 1/144, रामसहाय पुत्र घासी का हिस्सा 1/72, सुण्डाराम पुत्र घासी का 1/72 शुद्व किया जाना उचित होगा। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत नाम शुद्दि का दावा भी स्वीकार योग्य है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब तथा अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम नटाटा, पटवार हल्का नटाटा, तहसील जमवारामगढ के साबिक खसरा नम्बर 322 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 782 रकबा 0.9200है0 में पूर्वानुसार अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के हिस्से को कम करते हुये प्रार्थी का हिस्सा 1/72 अंकित कर प्रार्थी का लालचन्द पुत्र घासी दुरूस्त किया जावें तथा ग्राम साईवाड, पटवार हल्का नटाटा, तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 441, 447, 449, 515, 540 कुल किता 5 कुल रकबा 4.4100है0 में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र घासी के स्थान पर लालचन्द पुत्र घासी दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते हे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ